

**Shri D. C. Sharma :** May I know why there was short-fall so far as the payment of the grants sanctioned was concerned ?

**Shri B. R. Bhagat :** It is not a short-fall; this is the accounting process because no money is paid in advance. Money is paid only if the State Government gives the actual expenditure. The remaining amount will also be paid when the account comes.

**Shri S. N. Das :** May I know whether there is any paper which will show the total grants given to various States ?

**Shri B. R. Bhagat :** If the hon. Member asks for this, he will get it.

**Shri S. N. Das :** I wanted to know whether there is any paper available with the Government or in the library to show the total grants given to the various States during this year.

**Mr. Speaker :** He can get it from the Budget papers.

**Shri D. C. Sharma :** May I request the hon. Minister to kindly state the name of the scheme for which the highest amount was given and also the name of the scheme for which the lowest amount was granted ?

**Shri B. R. Bhagat :** The highest is the relief to displaced persons for which the grant sanctioned is 61,34,380 and the lowest seems to be the one for development of scheduled areas in Lahaul and Spiti, the amount being Rs. 1,290.

#### Ordinance Factories

\*1543. **Shri Ibrahim :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) which are the Ordinance Factories in India which manufacture tent and net cloth for the Army and their total output (separately) during the year 1954-55.

(b) whether any of the cloth manufactured was sold to the public ; and

(c) if so, how much.

**The Deputy Minister of Defence (Sardar Majithia) :** (a) No Ordinance Factory manufactures cloth for tents or for nets.

(b) and (c) . Do not arise.

**Shri Bhagwat Jha Azad :** May I know even now what idle capacity of the ordinance factories is being utilised for the production of goods for civilian consumption ?

**Sardar Majithia :** That question has been answered a number of times and I should like to repeat again that to the maximum amount possible the idle capacity is being utilised.

**Shri Bhagwant Jha Azad :** May I know what percentage of the total production of civilian good ?

**Sardar Majithia :** It is only about two days ago I gave the figures in money for the civilian production on the floor of this House.

#### राष्ट्रीय कलेंडर

\*१५४४. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उस राष्ट्रीय कलेंडर को भंगीकर करन का है जिस की सिफारिश राष्ट्रीय कलेंडर सुधार समिति ने की है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीवाली) : (क) और (ख), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् की कार्य कारिणी सभा ने राष्ट्रीय कलेंडर सुधार समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा यह समिति प्रकट की कि परीक्षात्मक कलेंडर की रिपोर्ट के साथ राज्य सरकारों, संस्थाओं तथा इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों के पास अपने विचार प्रकट करने के लिये भेजा जाये। इस मामले में भंगली कार्यवाही उन विचारों पर विमर्श के पश्चात की जायेगी। इस लिये यह कहना सम्भव नहीं है कि इस परीक्षात्मक कलेंडर को भंगीकार भी किया जायेगा, और यदि किया जायेगा तो कब से ?

श्री कृष्णाचार्य जोशी क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि राष्ट्रीय कलेंडर सुधार समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

डा० के० एल० श्रीवाली : उस की मुख्य सिफारिशें हैं ;

(१) भारत के सुधरे हुए कलेंडर में साक सम्बत का प्रयोग हो।

(२) सौर वर्ष (सोलर इयर) बसन्त विषुव (वर्नल इक्वा-नोक्स) के अगले दिन अर्थात् २२ मार्च से शुरू होना चाहिये जो कि चैत्र का पहला दिन होगा ।

(३) महीनों के नाम चत्र, बैशाख, आदि होंगे और उन के निश्चित दिन होंगे (३० या ३१ दिन)।

(४) धार्मिक त्यौहार तिथि तथा नक्षत्रों के मुताबिक होंगे जिन को गणित के सही और आधुनिक तरीकों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा ।

(५) सुधरे कलैण्डर को, २१ मार्च १९५६ जो कि चैत्र का प्रथक १८७८ साक है, से लागू किया जाये ।

रु० १,६२,४६,२८४-९-० से शुरू हुआ, जो भारत का हिस्सा था ।

(ख) रु० १,४४,४८,१५६-११-०

(ग) नीचे लिखी रकमें बांटी गई :-

(द) लाइम्स में सैनिकों के कल्याण, परिवारिक कल्याण और महिलाओं और बच्चों की प्राइमरी शिक्षा के लिये ग्रांट रु० ४,५०,०००-०-०

(२) जिलों के सोलजर्स, सेलर्स और एग्रमेन्स बोर्डों को चालू रखने के खर्च की २५ फीसदी ग्रांट — रु० २,४१,६२०-४-० ।

श्री गाडगिल : क्या यह सिफारिशें इस समिति ने एक राय से की हैं या इस में मतभ्रमता है ?

डा० के० एल० धीमाली : इस का उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता हूँ ।

सशस्त्र बल पुनर्निर्माण निधि (आर्मड फोरसिज रिफ्ल्टुक्शन फंड)

\*१५४५. श्री भक्त बर्शन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बल पुनर्निर्माण निधि कितनी पूंजी से आरम्भ की गई थी ;

(ख) अब कितनी राशि शेष है; और

(ग) १९५४-५५ में उस में से कितनी राशि खर्च की गई और किन-किन मदों पर खर्च की गई ?

रक्षा उपमन्त्री (सरदार मजीठिया) :

(क) देश का बंटवारा होने के बाद फंड

श्री भक्त बर्शन : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस फंड के वितरण के लिये क्या प्रणाली निर्धारित की गई है। क्या इस के लिये कोई केन्द्रीय समिति है यदि हां, तो उसके कौन-कौन से मेम्बर हैं और कौन-कौन अधिकारी उस में काम करते हैं ?

सरदार मजीठिया : यह फंड लड़ाई के जमाने में शुरू हुआ था और इसे काम्बेंटेंट्स के लिये दो रुपये महीना और नान-कामबट्स के लिये एक रुपया महीना के हिसाब से शुरू किया गया था। १९४६ में इस फंड में ८० फीसदी रुपया स्टेट्स के पास भेज दिया गया और उस वक्त वह रिजर्वल स्टेट्स थी और उन को खर्च करने का पूरा अधिकार दिया गया। बाकी जो २० फीसदी हमारे पास रह गया उस के खर्च के लिये डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वह जिम्मेवार है।

श्री भक्त बर्शन : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस निर्णय करने में पहले देश के विभिन्न भागों में जो डिफेंस यूनिट्स हैं सेनाओं के क्या उन से भी सुझाव मांगे जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट सोलजर्स बोर्ड से सुझाव मांगे जाते हैं